संख्या- 1/2018/541/49-2-2018-600(35)/2018

प्रेषक,

मो० जुनीद
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता, उ०प्र०,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 23 अप्रैल, 2018

विषयः- सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-146/स्था0 क/1ए दिनांक 06-04-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में सहकारी समितियों के चुनाव चल रहे हैं जो माह मई, 2018 तक चलेंगे। इसके अतिरिक्त मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत सरकारी गेहूं खरीद वर्तमान में प्रारम्भ हो गयी है एवं दिनांक 15 जून 2018 तक रहेगी। विभाग में सहकारी देयों/फसली ऋणों की वसूली का भी यह "पीक टाईम" सर्वाधिक उपयुक्त समय) है। इसके अतिरिक्त उ0 प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक द्वारा दीर्घकालीन ऋणों की वसूली के सम्बन्ध में "एक मुश्त समाधान योजना" प्रारम्भ कर दी गयी है। अतः वर्तमान में यदि उक्त अवधि में विभाग के सभी समूहों के अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया जाता है तो विभाग की उक्त महत्वपूर्ण योजनायें एवं कार्य विपरीत रूप से प्रभावित होगें।

3- अतः उपरोक्त विशिष्ट परिस्थितियों के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि समूह 'क' को छोड़ कर (क्यों कि उनका कार्य सुपरवाइजरी है) अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण दिनांक 30-06-2018 तक स्थगित रखा जाय तथा समूह- ख, ग एवं घ के अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण दिनांक 01 जुलाई, 2018 से दिनांक 31 जुलाई 2018 की अवधि में किया जाये।

कृपया शासन द्वारा लिये गये उक्त निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मो0 जुनीद)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 1/2018/541/49-2-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- अपर आयुक्त एवं अपर निबंधक, प्रशासन, सहकारिता मुख्यालय।

2- समस्त मण्डलीय संयुक्त आयुक्त, सहकारिता, उ0 प्र0 द्वारा आयुक्त एवं निबंधक, सहकारिता कार्यालय द्वारा) को सूचनार्थ एवं अपने अधीनस्थ अधिकारियों/ कर्मचारियों को अवगत कराने हेतु।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, सहकारिता विभाग।

4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, सहकारिता विभाग।

5- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/सचिव/विशेष सचिव, सहकारिता विभाग,उ0प्र0 शासन।

6- कार्मिक अनुभाग-4 उ0 प्र0 शासन।

7- सहकारिता अनुभाग-1/2/3

8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मो0 जुनीद)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।